कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

–: कार्यालय आदेश :–

क्रमांक :– 121 दिनांक :– 17-12-2025

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश संख्या 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 पृष्ठांकन क्रमांक सामान्य/XII/11/1990/SC-I/1893 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2024 दिनांक 20.11.2024 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25 दिसम्बर, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उपरोक्त आदेश में दिये निर्देशानुसार शीतकालीन अवकाश की उपरोक्त अवधि के दौरान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर का न्यायालय राजपत्रित अवकाश तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुला रहेगा तथा इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 8 की उपधारा (5) के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे या लम्बित है, उन्हें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश उक्त प्रयोजनार्थ अधिकृत करें, सुनने एवं निपटाने हेतु अधिकृत किया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर एवं इस न्यायक्षेत्र में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में दिनांक 25.12.2025 से 27.12.2025 हेतु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण को एवं दिनांक 28.12.2025 से 31.12.2025 हेतु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर को उक्त अवधि के लिए पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर/पोकरण एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण न्यायालय, जैसलमेर के समक्ष पेश किये जावेंगे या लम्बित हैं, उन्हें सुनने एवं विधि अनुसार निपटाने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

–sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

लगातार.....

क्रमांक : स्था./2025/ 1463 दिनॉक : 17-12-25

प्रति निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त हैं :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, जैसलमेर।
4. विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. प्रकरण न्यायालय, जैसलमेर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर/पोकरण।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ।
7. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर।
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण ।
9. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ।
10. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ।
11. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकड़ा मुख्यालय–पोकरण
12. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को समस्त थानाधिकारी को सूचित करने हेतु।
13. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जैसलमेर/पोकरण ।
14. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय को वेबसाईट पर अपलोड़ हेतु।
15. नोटिस बोर्ड, न्यायालय–हाजा ।
16. कार्यालय प्रति ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।